



# विकलांगता, शादी, अधिकार.

## भारत में विकलांग महिलाओं के लिए विवाह प्रोत्साहन की योजनाओं को समझना और उनकी जटिलताओं को सामने लाना

अपनी पूरी और स्वतंत्र सहमति के साथ शादी करना एक मूलभूत मानवाधिकार है। हालांकि, नारीवादी आन्दोलन में यह अधिकार, अलग-अलग जेण्डरों के बीच सत्ता संबंधों को बनाए रखने की संभावना के कारण विवाद का मुद्दा रहा है। फिर भी, शादी की नारीवादी आलोचना के भीतर, भारत और वैश्विक, दोनों ही स्तर के अध्ययनों में, महिलाओं और लड़कियों की शादी करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, और उन समूहों के बारे में बात कम की जाती है जिनकी ऐतिहासिक रूप से शादी संस्था या व्यवस्था तक पहुँच सीमित रही है। यह विशेषरूप से विकलांग महिलाओं और लड़कियों की शादी की इच्छाओं के बारे में एक सच्चाई है।

इसलिए, जहाँ शादी जैसी संस्था की उसकी पितृसत्तात्मक और संरक्षणात्मक संरचना के लिए आलोचना की जाती है, वहाँ यह देखना भी ज़रूरी है कि यह, संरचनात्मक रूप से अलग किए गए समुदायों की कितनी पहुँच में है। भारतीय संदर्भ में, उदाहरण के लिए, शादी, अनेक महिलाओं के लिए और विशेषरूप से विकलांग महिलाओं के लिए - एक दरवाज़ा, एक रास्ता है - यौनिक आनंद प्राप्त करने का, प्रजनन से जुड़े निर्णय करने का, देखभाल और उससे जुड़े निर्णय करने का।

हालांकि संयुक्त राष्ट्र की विकलांग व्यक्तियों के अधिकार संधि (सीआरपीडी), खुलकर विकलांग व्यक्तियों के शादी करने के अधिकार की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन अनेक विकलांग व्यक्तियों के लिए यह 'ख्वाब' वास्तविकता से बहुत दूर है। आँकड़े इस बात की पुष्टि करते हुए बताते हैं कि भारत में 41.72% विकलांग व्यक्तियों की कभी शादी नहीं हुई है; विकलांग महिलाओं के लिए तो यह आंकड़ा बढ़ कर 46%<sup>1</sup> पर है।

जहाँ विकलांग महिलाओं की शिक्षा और आजीविका के अधिकार पर काफ़ी बातचीत की जा रही है, उनकी यौनिकता, संबंधों और इच्छाओं के बारे में चर्चाओं पर अभी भी शर्म और क्षमतावादी मानसिकता के कारण ध्यान नहीं दिया जाता है। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ भारतीय राज्यों ने गैर-विकलांग व्यक्तियों को विकलांग व्यक्ति से शादी करने के लिए 'विवाह प्रोत्साहन' योजनाएँ शुरू की हैं जिनका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों का व्यापक रूप में एकीकरण और समावेशन करना है।

यह समीक्षा पेपर एक ऐसे समय पर आ रहा है जब हम इन नई योजनाएँ, जो भारत में मौजूदा जेण्डर पक्षपाती विकलांगता नीति के परिदृश्य में बदलाव ला रही है, के शुरुआती प्रभाव को देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए मौजूद आंकड़ा बहुत सीमित है और योजना के बारे में भी

<sup>1</sup> भारत की जनगणना 2011 और सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वहन मंत्रालय द्वारा 2016 में किया गया 'भारत में विकलांग व्यक्ति' अध्ययन

अलग-अलग तरह के विचार हैं। क्योंकि विवाह के लिए प्रोत्साहन या वित्तीय लाभ एक तरह से विकलांगता के कल्याणकारी मॉडल<sup>2</sup> से निकला है, तो यह ज़रूरी है कि इन योजनाओं को विकलांगता अधिकार नज़रिए और व्यापक नारीवादी आलोचनाओं के संदर्भ में भी विस्तार से समझा जाए।

2019 में, जेण्डर और विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता शंपा सेनगुप्ता और उनकी टीम ने क्रिया के सहयोग से दो राज्यों (केरल और बिहार) में चल रही विवाह प्रोत्साहन योजनाओं पर एक समीक्षा पेपर बनाने के लिए और विकलांग महिलाओं पर पडने वाले इन योजनाओं के प्रभावों के बारे में एक खोजपूर्ण शोध<sup>3</sup> किया। यह प्रारंभिक अध्ययन विकलांग महिलाओं और नारीवादी विकलांग अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ हुए गुणवत्तात्मक साक्षात्कार पर आधारित है। इस अध्ययन में विवाह संस्था की व्यापक आलोचना के साथ इस तरह की योजना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के प्रयोजन और मंशा की अलोचना करना भी शामिल है। परस्पर विरोधी तर्क-वितर्क की रौशनी में यह पेपर शादी, विकलांग महिलाओं के जीवन में इसका महत्व, क्या शादी को प्रोत्साहन देने में सरकार की भूमिका होनी भी चाहिए और इसके अधिकारों और उनके लाभों से जुड़ाव के इर्द-गिर्द बहसों<sup>4</sup> को देखेगा। नीचे इस शोध से निकले नतीजों का एक विवरण दिया जा रहा है।

2 विकलांगता का कल्याणकारी मॉडल, विकलांग व्यक्तियों को मुख्य रूप से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जिसे देखभाल और दया की ज़रूरत है, और विकलांगता को एक व्यक्तिगत समस्या के रूप में देखता है ना कि विकलांग व्यक्तियों को एक अधिकार धारक के रूप में जो मानवाधिकार रखते हैं और ना ही विकलांगता को मानव विविधता की एक अभिव्यक्ति के रूप में। विकलांगता के सामाजिक और मानवाधिकार मॉडल उस विचार को सामने रखते हैं जो विकलांगता एक सामाजिक न्याय का मुद्दा है और यह व्यक्तियों के विकलांगता और सामाजिक माहौल के बीच के जुड़ाव से होती है।

3 पद्धति के बारे में: विकलांग महिलाओं के लिए विवाह योजनाओं के इस प्रारंभिक अध्ययन को शंपा सेनगुप्ता ने दो अन्य स्वतंत्र शोधकर्ताओं, मुदुला मुरलीधरन और स्मृति धोंगरा के साथ मिल कर किया है। यह प्रारंभिक अध्ययन 2019 में 9 साथियों के साथ किया गया जिन्होंने इन योजनाओं में आवेदन देकर वित्तीय लाभ प्राप्त किया, उनका चुनाव लक्षित सैमपलिंग के आधार पर किया गया था और विकलांगों के अधिकार पर राष्ट्रीय मंच (एनआरपीडी) और बिहार विकलांग मंच से जुड़े स्थानीय संदर्भ व्यक्तियों के सहयोग से उन्हें चिन्हित किया गया था। इसके अलावा, योजना की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी लेने के लिए, जिसमें क्रियान्वहन, उसका प्रभाव और भूमिका, यदि भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार आगे बढ़ाने की दिशा में कोई है तो, इस मुद्दे पर काम करने वाली छः महिला विकलांग अधिकार कार्यकर्ताओं को भी अध्ययन में शामिल किया गया। इनमें से किसी भी कार्यकर्ता ने इन योजनाओं के तहत किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ नहीं उठाया है। इंटरव्यू रिकॉर्डिंग को लिखा गया और एक तथ्यात्मक विश्लेषण किया गया।

4 यह पेपर शंपा सेनगुप्ता की शोध रिपोर्ट और क्रिया व श्रुति डिसेबिलिटी सेन्टर द्वारा 19 अप्रैल 2023 को आयोजित किए गए ऑनलाइन सेमिनार पर आधारित है।

5 अलग-अलग क्षेत्रों में इन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए पात्रता मानदण्डों में बहुत अंतर है।

6 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016, [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15939/1/the\\_rights\\_of\\_persons\\_with\\_disabilities\\_act%2C\\_2016.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15939/1/the_rights_of_persons_with_disabilities_act%2C_2016.pdf)

## भारत में विवाह प्रोत्साहन योजनाओं के उदाहरण

भारत के 19 राज्यों ने शादी सहायता/प्रोत्साहन योजनाओं को लागू किया है, जिनमें से दो राज्यों की योजनाओं का हमने इस शोध के दौरान आंकलन किया है।

केरल में, सरकार 'शारीरिक रूप से विकलांग लड़कियों और विकलांग माता-पिता<sup>5</sup> की बेटियों के लिए 'विवाह सहायता' देती है। इस योजना को बहुत ज़ोरदार तरीके से 'विवाह सहायता' कह कर सामने लाया गया है, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि शादी के लिए साथी विकलांग होना चाहिए या गैर-विकलांग। फिर भी यह योजना केवल शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तक ही सीमित है, और विकलांगता की अन्य सभी श्रेणियों, जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम<sup>6</sup>, 2016 में सूचित हैं, पर लागू नहीं होती है। यह योजना विकलांग महिलाओं और विकलांग माता-पिता जिनकी मिली-जुली वार्षिक आय ₹36,000 से अधिक नहीं है, की बेटियों को एक बार में दी जाने वाली ₹30,000 की वित्तीय सहायता देती है।

बिहार में इस योजना को एक 'पुरस्कार' के रूप में सामने रखा गया है। यह योजना किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी विकलांग व्यक्ति से शादी करती/ता है ₹100,000 का पुरस्कार देती है<sup>7</sup>। और यदि शादी दो विकलांग व्यक्तियों के बीच हो रही हो तो यह राशि दोगुनी हो जाती है। यह राशि उस विकलांग व्यक्ति के नाम सावधि जमा या बचत के रूप में दी जाती है और इसमें तीन साल का लॉकिंग समय होता है जिसके दौरान इस राशि को कोई भी निकलवा नहीं सकता है। अगर दोनों ही साथी विकलांग हैं तो सावधि जमा महिला के खाते में आता है।

इसी तरह से, भारत में अर्न्तजातीय शादियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी विवाह प्रोत्साहन योजना है। अर्न्तजातीय विवाह के माध्यम से एकीकरण करने के उद्देश्य से 'डॉ अम्बेदकर योजना' 2015 में लागू की गई थी और यह अर्न्तजातीय जोड़ों (जहाँ अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति एक गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति से शादी करती/ता है) की एक सीमित संख्या को उनकी शादी के शुरुआती वर्षों में सहयोग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऐसा लगता है कि विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना को एक तरह से गैर-विकलांग व्यक्तियों को विकलांग व्यक्तियों से शादी करने पर वित्तीय सहायता देकर विकलांग व्यक्तियों के एकीकरण और समावेशन के उद्देश्य से बनाया गया है।

## विकलांगता, अंतरंग संबंध, सामाजिक सुरक्षा और पितृसत्ता

जैसे कि पहले भी देखा गया है कि समाज में, परिवार में या वित्तीय योजनाओं में विकलांग महिलाओं पर वैसे भी कम ध्यान दिया जाता है। भारतीय संदर्भ की बात करें तो सामाजिक रूप से स्वीकार्य और 'जायज' माने जाने वाले तरीकों में शादी ही प्राथमिक रूप से एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से यौनिक, रुमानी और प्रजनन आकांक्षायें व्यक्त या पूरी की जा सकती हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए भी यही बात लागू होती है।<sup>7</sup> अनेक महिलाओं के लिए शादी के भीतर उनकी सामाजिक सुरक्षा भी छिपी होती है। भारत में विकलांग

महिलाओं और लड़कियों के लिए शादी से सामाजिक सुरक्षा का जुड़ाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कुछ हद तक इसलिए कि हमारे यहाँ जीवन-चक्र नज़रिए पर आधारित, देखभाल के सहानुभूतिपूर्ण और स्वीकार्य तरीके देने वाले सरकारी ढाँचों की बहुत कमी है। इन सब कारणों से देखभाल की जिम्मेदारी परिवार के निजी दायरे के पास ही आ जाती है।<sup>8</sup>

कुछ नारीवादी एक्टिविस्ट यह तर्क देते हैं कि विवाह प्रोत्साहन योजनायें अपने आप में ज़रूरी हैं क्योंकि ये शादी संस्था को केन्द्र में लाते हुए विकलांग महिलाओं के जीवन के अंतरंग संबंधों के महत्व के इर्द-गिर्द बातचीत को शुरू करने और उन पर ध्यान देने में सहयोग देती हैं। वहीं अन्य का कहना है कि इस तरह शादी को लक्षित करता वित्तीय लाभ, दजेह प्रथा (दुल्हन के परिवार का दूल्हे के परिवार को

जहाँ हम उचित और महत्वपूर्ण रूप से समलैंगिक विवाह क़ानून के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके बारे में भारत के उच्चतम न्यायालय में बहस चल रही है, हम उन बहुत सारी महिलाओं के बारे में मुश्किल से ही बात करते हैं जिन्हें, वास्तव में, अपनी विकलांगता के कारण शादी नहीं करने दी जाती है। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम सार्वजनिक दायरों में कभी बात नहीं करते हैं। और यह सब बहुत दिलचस्प है क्योंकि ऐसे अन्य क़ानून भी हैं जो कहते हैं कि कुछ तरह के विकलांग व्यक्ति शादी कर ही नहीं सकते हैं, और फिर भी कुछ राज्य हैं जो उनकी शादी के लिए पैसे दे रहे हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कौन से विकलांग व्यक्ति इन प्रोत्साहन योजनाओं के लिए योग्य हैं: इसकी परिभाषा बहुत ही अलग-अलग दी हुई है। भारत में, “मानसिक रूप से स्वस्थ ना होना” तलाक़ के अनेक कारणों में से एक है। लेकिन आज की तारीख़ में, यह ‘मानसिक रूप से स्वस्थ ना होना’ है क्या? हम देखते हैं कि तलाक़ के क़ानून के कारण बहुत से लोग शादी से पहले अपनी मनोसामाजिक विकलांगता को छिपाते हैं। अगर परिवारों को शादी के बाद विकलांगता के बारे में पता चल जाता है, तो महिला को घर से निकाल दिया जाता है। हमने सैकड़ों पतियों को भी तलाक़ लेने के लिए अपनी पत्नियों के भावात्मक विकलांगता दिखाने वाले झूठे प्रमाणपत्र बनवाते देखा है। इसलिए, हमारा मुख्य उद्देश्य शादी क़ानून में संशोधन लाना होना चाहिए, क्योंकि भारत ने यूएनसीआरपीडी को अंगीकार किया है और हमें विकलांग व्यक्तियों के शादी के अधिकार की सुरक्षा करनी होगी।

शंपा सेनगुप्ता, श्रुति डिसेबिलिटी सेन्टर

7 रुप्सा मलिक, 2017 'बॉडिली इन्टीग्रीटी एंड फ़्रीडम् - ए क्रॉस मूवमेन्ट प्रॉस्पेक्टिव,' डिबेलपमेन्ट, पाल्नेव, मैक्सिमलन; सोसाइटी फ़ॉर इन्टरनेशनल डिबेलपमेन्ट, वॉल. 60(1) पेज 40-43, सितम्बर, तार्शी का भारतीय संदर्भ में यौनिकता और विकलांगता पर वर्किंग पेपर, 2018, <https://www.tarshi.net/inplainspeak/tarshis-corner-working-paper-sexuality-and-disability-in-the-indian-context-2018/>

8 चक्रवर्ती, यू. (2008). बर्डन ऑफ़ केयरिंग: फेमिलीज़ ऑफ़ द डिसेबिलिटी इन अर्बन इण्डिया. इण्डियन जर्नल ऑफ़ जेण्डर स्टडीज़, 15(2), 341-363. <https://doi.org/10.1177/097152150801500207>

धन, सामान और/या संपत्ति का दिया जाना जो महिला के निम्न स्थिति को दिखाता है) को जारी रखने की तरह ही है, जिसमें राज्य एक पितृसत्तात्मक पिता की भूमिका ले लेता है।

भारतीय संदर्भ में विकलांगता अक्सर कल्याणकारी नज़रिए से देखी जाती है। इसलिए, इस तरह की भाषा कि किसी ग़ैर-विकलांग व्यक्ति को विकलांग व्यक्ति से शादी करने पर “प्रोत्साहन” या “पुरस्कार” दिया जाएगा, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या यह योजनायें वास्तव में एकीकरण और समावेशन को बढ़ावा दे रही हैं या ये विकलांग व्यक्तियों की ओर एक कल्याणकारी मॉडल अपनाते हुए बात को खत्म करते हुए औपचारिकता निभा रही हैं।

यह योजना शादी को आधार लेती है, लेकिन यह भारत में अन्य विकलांगता और शादी क़ानूनों के अनुसार नहीं है। उदाहरण के लिए, भारतीय क़ानून प्रणाली में कुछ प्रकार की विकलांगतायें अभी भी तलाक़ का आधार बनी हुई हैं, और उसमें विकलांगता की एक अस्पष्ट परिभाषा और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त भाषा का इस्तेमाल है। देश, विकलांग महिलाओं को क़ानूनी क्षमता से भी वंचित करता है, जिससे अभिभावकों के अधीन विकलांग महिलाओं के लिए तो आगे स्थिति और भी जटिल हो जाती है, जो शादी के लिए उनकी क़ानूनी सहमति को नकार सकते हैं। भारत में शादी की समानता के अभाव में समलैंगिक संबन्ध रखने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए तो शादी के बारे में सोच पाना भी संभव नहीं है।

## आर्थिक न्याय और विवाह के लिए प्रोत्साहन

शादी संस्था से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं की उपयोगिता के पैरोकार एक्टिविस्टों को भी लगता है: “अगर किसी व्यक्ति की विशेष ज़रूरतें किसी विशिष्ट समय पर पूरी हो रही हैं, तो हमें इस तरह के शादी अनुदान की आवश्यकता नहीं है।” फिर भी, क्योंकि इस तरह की योजनायें या आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं हैं, शादी अनुदान कुछ हद तक विकलांग व्यक्तियों को सहयोग देने का काम करता है।

अध्ययन में भाग लेने वाली सभी विकलांग महिलायें इस योजना के तहत मिले पैसों को खर्च करने को लेकर बहुत उत्साहित थीं, चाहे वह राशि कितनी भी हो - अपनी आगे की शिक्षा के लिए, अपने लिए आजीविका का कोई स्रोत बनाने के लिए, बच्चे के जन्म पर अस्पताल में होने वाले खर्च के लिए, अगर उनके परिवार ने उनकी शादी के लिए कोई कर्ज़ लिया है तो उसका कुछ हिस्सा चुकाने के लिए, आदि। (शादी के लिए कर्ज़ लेने की प्रथा पूरे भारत में मौजूद है। फ़िज़ूलखर्ची वाली शादियाँ - जिनमें अक्सर बड़ा दहेज भी दिया जाता है - बहुत आम हैं क्योंकि यह आपका सामाजिक स्तर दिखाती हैं, जिनमें दूल्हे के परिवार को “प्रभावित” करने की बात होती है और स्पष्ट रूप से दुल्हन के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद देती हैं।<sup>9</sup>)

मैं ना तो इसके पक्ष में हूँ और ना ही इसके विरुद्ध क्योंकि यह बिल्कुल कुछ लोगों को फ़ायदा देगी, लेकिन एक नारीवादी के रूप में मेरे लिए यह एक तरह से दहेज प्रथा को जारी रखना है। अगर हम सचमुच सामाजिक समावेशन चाहते हैं, हमें इन पैसों को शिक्षा के लिए, विकलांग महिलाओं और पुरुषों के लिए आजीविका के अवसर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। (...) अगर दो विकलांग व्यक्ति आपस में शादी करना चाहते हैं, उन्हें सहयोग दिया जा सकता है। मेरा मतलब केवल आर्थिक सहयोग से नहीं है, बल्कि उनको स्वतंत्र रूप से जीवन जी पाने के लिए, और जिस भी तरह का देखभाल सहयोग उनको चाहिए, उसे देने से है। लेकिन जब विकलांग व्यक्ति एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो अक्सर अपने परिवार और सामाजिक अवरोधों के कारण नहीं कर पाते हैं। अगर इस तरह का सहयोग नहीं दिया जाएगा तो मेरे हिसाब से शादी एक जुआ है। सहयोग केवल पैसों का नहीं, बल्कि अन्य चीज़ों/बातों के लिए भी।

*जीजा घोष, जेण्डर और विकलांगता अधिकार एक्टिविस्ट*

9 ब्लॉक एफ., राओ वी., देसाई एस., 2004, वेडिंग सेलिब्रेशन एज़ कॉन्स्यूक़अस कन्ज़म्पशन: सिग्नलिंग सोशल स्टेटस इन रूरल इण्डिया, जर्नल ऑफ़ ह्यूमन रिसेर्सेस, 2004, वॉल. 39, अंक 3

विवाह प्रोत्साहन योजना के रूप में आर्थिक सहयोग विकलांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक न्याय और सम्पत्ति के बँटवारे में उनकी स्थिति से जुड़ता है। जैसे कि अनेक शोधों ने इसकी पुष्टि की है कि विकलांग व्यक्तियों के गरीबी में जीवन जीने की अधिक संभावना है जिसमें कारण दो तरफ़ा होते हैं: एक तरफ़ तो विकलांगता उच्च दर्जे की गरीबी के खतरे की ओर ले जाती है, तो दूसरी तरफ़ विकलांगता सामाजिक-आर्थिक स्थितियों (जैसे स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच का अभाव और ख़राब काम करने की परिस्थितियाँ) के कारण हो सकती है। इसलिए विकलांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक न्याय और राज्य का आर्थिक सहयोग, विकलांगता अधिकारों और न्याय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस नज़रिए से, विवाह प्रोत्साहन योजनाओं की आलोचना करना कठिन हो जाता है जब वे सीधे तौर पर गरीबी और गाँव में रहने वाले व्यक्तियों को भी आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही हैं।

फिर भी, राज्य द्वारा विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दिया जाने वाला वित्तीय लाभ एक विकलांग व्यक्ति की शादी करने की इच्छा पर निर्भर होता है और कुछ राज्यों में उन लोगों के लिए यह लाभ सीमित हो जाते हैं जो आगे चल कर अपनी शादी को समाप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा, कई उदाहरणों में इस तरह की योजनायें विकलांग और ग़ैर-विकलांग व्यक्तियों के बीच शादी को प्राथमिकता देती हैं, लेकिन साथ ही यह दो विकलांग व्यक्तियों को आपस में शादी करने पर वित्तीय सहायता नहीं देती हैं, जबकि प्रमाण दिखाते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के बीच आपस में शादी करने का प्रचलन काफी आम है।<sup>10</sup>

एक राजनीतिक वैज्ञानिक और एक नारीवादी के रूप में, मैं इसे राज्य की भूमिका के नज़रिए से देखती हूँ, क्योंकि हमने समुदाय में पितृसत्ता पर बहुत बात की है लेकिन यह राज्य की एक कुलपिता के रूप में एक अभिव्यक्ति है - यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने है, कि यह योजना शादी के लिए है (...)| यह योजना एक खतरनाक स्थिति की तरफ ले जाती है क्योंकि यह राज्य को लोगों के जीवन में दखल देने का अधिकार देती है। वह यही कर रही है: यह मेरा अधिकार है कि मैं आपको बताऊँ कि आप किससे शादी कर सकती/ते हैं, मैं आपको एक विकलांग व्यक्ति से शादी करने के लिए पैसा दूंगा, लेकिन अगर आप किसी ग़ैर-विकलांग से शादी करती/ते हैं तो मैं आपको पेसा नहीं दूंगा, मैं आपके जीवन के हर हिस्से में दखल दूंगा। और यह कुछ ऐसा है जो हम नहीं चाहते हैं। हम महिलाओं की यौनिकता में दखलअंदाज़ी नहीं चाहते हैं। इसे राज्य को नहीं करना चाहिए और यह यौनिकता के दायरे में राज्य की व्यापक दखलअंदाज़ी है। हम विभिन्न क़ानूनी बहसों में - समानता आधारित शादी में इसे देखते हैं - हम इसे शादी के भीतर होने वाले बलात्कार और विवाह प्रोत्साहन योजना में भी देखते हैं।

### प्रो. आशा हंस

10 देखें: अधलखा, आर. 2007बी. 'हाउ यंग पीपल विद डिसेबिलिटी कन्सेप्युलाइज़ द बॉडी, सेक्स एंड मैरेज इन अर्बन इण्डिया: फ़ोर केस स्टडीज़', सेक्शुएलिटी एंड डिसेबिलिटी, 25(3): 100-113 एंड वैद्य, एस.(2015). विमेन विद डिसेबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स: डिस्कनेक्टिंग डिस्कोर्सेस, सोशल चेंज, 45(4), 517-533. <https://doi.org/10.1177/0049085715602787>

## राज्य और यौनिकता पर अधिकार

जहाँ पहली नज़र में, यह योजनायें एक लम्बे समय से उपेक्षित मुद्दे को सम्बोधित कर रही हैं - विकलांग महिलाओं और लड़कियों की यौनिकता और अंतरंग इच्छायें - वे उनके यौनिक व प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों (एसआरएचआर) की ओर एक अधिकार आधारित नज़रिया लागू करने में विफल रही हैं। उदाहरण के लिए, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम भी राज्यों को आदेश देता है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रजनन और परिवार नियोजन सूचना (धारा 10) तक पहुँच सुनिश्चित की जाए और इस तरह की जागरूकता फैलाई जाए जो “विकलांग व्यक्ति द्वारा अपने पारिवारिक जीवन, संबन्धों, बच्चे पैदा करने और पालने से जुड़े मामलों में लिए गए निर्णयों का सम्मान करे” (धारा 39 (2) (ग)), एसआरएचआर के इन अधिकार आधारित पहलुओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। बल्कि, यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए एक अधिकार आधारित नज़रिया आगे बढ़ाने के संदर्भ में भी, आर्थिक आत्मनिर्भरता के महत्व पर ध्यान दिया जाता है।<sup>11</sup>

इस तरह के प्रलोभन हमें वापस यौनिकता पर सरकार के नियंत्रण और निजी दायरों और सरकार की दखलअंदाज़ी के बीच के संबन्ध पर नारीवाद के व्यापक काम पर ले जाते हैं।

एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। विकलांगता से जुड़े वित्तीय सहयोग को क्यों किसी की शादी करने की इच्छा से जोड़ा जाए? क्या इस तरह की अन्य योजनायें भी हैं जो विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक न्याय के लिए सहयोग दे जिसमें यौनिकता, अंतरंग संबन्धों और शादी तक पहुँच शामिल हो? नारीवादी और विकलांगता अधिकार आन्दोलनों के लिए इन विवाह प्रोत्साहन योजनाओं के प्रभाव को विकलांगता के संदर्भ में समझना ज़रूरी है और साथ ही इस तर्क-वितर्क को भी कि कैसे विकलांग महिलाओं की यौनिकता, विवाह करने का अधिकार और आर्थिक न्याय को विकलांगता अधिकार और नारीवादी दृष्टिकोणों के माध्यम से बेहतर तौर पर समझा जाए।

11 एलेक्जेंड्रा गार्डरिल, क्लॉस बेसेल व कॉरनीलिया बेकर (2017) “वी डू नॉट डेयर टू लव”: विमेन विद डिसेबिलिटीज़ सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स इन रूरल कम्बोडिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैटर्स, 25:50, 31-42, डीओआई: 10.1080/09688080.2017.1332447



dsroi@creaworld.org  
creaworld.org

7, Ground Floor,  
Nizamuddin East,  
New Delhi 110013

310 Riverside Dr,  
Suite 2701,  
New York,  
NY 10025 USA